



2026:AHC:17507-DB

प्रतिवेद्य

सुरक्षित : 08.01.2026

दिया गया : 27.01.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील संख्या - 646/2025

अनीता रानी

..... अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

..... प्रतिवादी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

:- सिद्धार्थ खरे, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- आकांक्षा शर्मा, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 03

माननीय न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह

माननीय न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला

(माननीय न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला द्वारा प्रदत्त)

1. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री उमंग श्रीवास्तव की सहायता से, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे; साथ ही प्रतिवादी संख्या 3 एवं 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री आकांक्षा शर्मा तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अंकित गौर को भी सुना गया।
2. प्रस्तुत अंतः-न्यायालय अपील, 'अनीता रानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य' (न्यूट्रल साइटेशन: 2025:एचसी:74204) मामले में, विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा पारित आदेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक 08.05.2025 के विरुद्ध दायर की गई है; जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने याचिका को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया था:-

“11. उपर्युक्त के दृष्टिगत, प्रासंगिक तिथियां हैं:-

- (i) विशेष बी.टी.सी. पाठ्यक्रम पूर्ण करने की तिथि,
- (ii) भर्ती प्रक्रिया हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि, तथा
- (iii) नियुक्ति की तिथि।

“12. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्त्री ने स्पेशल बी.टी.सी. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दिनांक 12.06.2012 को पूर्ण किया तथा विज्ञापन दिनांक 19.12.2014 को जारी किया गया, अर्थात् 2 वर्ष 6 माह 7 दिन बाद। याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति वर्ग की अभ्यर्थी थी, अतः उसे अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई थी, अर्थात् अधिकतम आयु 45 वर्ष थी और वह 2 वर्ष 6 माह 7 दिन जोड़ने के बाद 47 वर्ष 6 माह 21 दिन की आयु तक आवेदन कर सकती थी, जो कट-ऑफ तिथि 01.07.2014 के अनुसार गणना की गई, यह ध्यान में रखते हुए कि पाठ्यक्रम 12.06.2012 को समाप्त हुआ तथा आवेदन 01.07.2014 को प्रस्तुत किया गया। किन्तु, उस समय उसकी आयु लगभग 48 वर्ष 2 माह थी, अतः वह आवेदन करने की पात्र नहीं थी। साथ ही, उसे नियुक्ति दिनांक 02.07.2016 को प्रदान की गई, जब वह अधिकतम आयु 50 वर्ष को भी पार कर चुकी थी। इसलिए उसकी नियुक्ति प्रारम्भ से ही शून्य थी।

13. उपर्युक्त परिस्थितियों में, चूंकि उपर्युक्त तथ्य निर्विवाद हैं, अतः शासनादेश दिनांक 29.10.2015 के अनुसार याचिकाकर्ता स्वयं भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं थी और उसकी नियुक्ति अवैध रूप से की गई थी। इसलिए आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता, जिसके द्वारा उसकी नियुक्ति को प्रारम्भ से ही शून्य घोषित किया गया।”

3. अभिलेख से परिलक्षित तथ्यों के अनुसार, अपीलार्थी का चयन वर्ष 2008 में स्पेशल बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हेतु हुआ था, हालाँकि वह उक्त प्रशिक्षण को दिनांक 05.06.2012 को पूर्ण



कर सकी। तत्पश्चात उसने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा दिनांक 24.05.2014 को उत्तीर्ण की। स्पेशल बी.टी.सी. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु तत्काल कोई भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई।

4. दिनांक 09.12.2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्पेशल बी.टी.सी. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों से 15000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु अधिसूचना जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी ने आवेदन किया और उसे दिनांक 02.07.2016 को नियुक्ति प्रदान की गई। तथापि, दिनांक 20.12.2017 को अपीलार्थी को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उससे यह स्पष्टीकरण मांगा गया कि चूंकि नियुक्ति की तिथि अर्थात् 02.07.2016 को उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो चुकी थी, अतः उसकी नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त नोटिस का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया, किन्तु ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.10.2023 के माध्यम से अपीलार्थी की नियुक्ति को प्रारम्भ से ही शून्य घोषित कर दिया गया।

5. इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने रिट-ए संख्या 19644 वर्ष 2023 प्रस्तुत की, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा, चुनौती दिए गए आदेश के माध्यम से निरस्त कर दिया गया।

6. अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत पद हेतु जारी अधिसूचना/विज्ञापन दिनांक 09.12.2014 के अनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10.02.2015 थी तथा उक्त अधिसूचना के अनुपालन में याचिकाकर्त्री/वर्तमान अपीलार्थी ने दिनांक 05.01.2015 को उक्त पद हेतु आवेदन किया। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि पर मूल याचिकाकर्त्री/वर्तमान अपीलार्थी की आयु 48 वर्ष 8 माह 4 दिन थी। अपीलार्थी का मामला यह है कि वह उ.प्र. बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली, 1981 के भाग-IV में निहित नियम 6 के साथ संलग्न तृतीय उपबंध तीसरा परंतुक के अनुसार 2 वर्ष 6 माह 21 दिन की आयु-छूट प्राप्त करने की अधिकारी हैं।

7. संदर्भ की सुविधा हेतु उ.प्र. बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली, 1981 के प्रासंगिक अंश निम्नवत उद्धृत किए जाते हैं:-

भाग-IV - अर्हता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“6. आयु नियम 5 के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के उपखण्ड (तीन) और (चार) या नियम 5 के खण्ड (ख) के परन्तुक में निर्दिष्ट किसी पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु उस वर्ष के जिस वर्ष सीधी भर्ती के लिए रिक्ति विज्ञापित की जाये, अनुवर्ती वर्ष की प्रथम जुलाई को 21 वर्ष की होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए :

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष या उतने वर्ष अधिक होगी जितनी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उपबन्धित की जाये :

परन्तु यह और कि उच्चतर आयु सीमा किसी अभ्यर्थी के मामले में जो भूतपूर्व सैनिक है तीन वर्ष से अधिक या जैसे कि समय-समय पर सरकार द्वारा उपबन्धित की जाये, होगी :

परन्तु यह भी कि विकलांग अभ्यर्थी के मामले में उच्चतर आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी :

परन्तु यह भी कि जहां बेसिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए विहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात् किसी अभ्यर्थी को जिले में रिक्ति उपलब्ध न होने के कारण नियुक्ति न मिल सकी हो वहां उसकी आयु की संगणना के लिए उतनी अवधि को जब तक उसे नियुक्ति न मिली हो, नहीं गिना जायेगा, यदि नियुक्ति के दिनांक को उसने 50 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु यह और भी कि उच्चतर आयु सीमा बी.एड./एल.टी./बी.पी.एड./सी.पी.एड. या डी.पी.एड. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के मामले में जिन्होंने वर्ष 1999 में विशेष बी.टी.सी. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो, लागू नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि उर्दू में प्रवीणता रखने वाले और द्विवर्षीय बी.टी.सी. उर्दू के विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेने वाले या विशिष्ट या विशेष बी.टी.सी. प्रशिक्षण



पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेने वाले किसी अभ्यर्थी के मामले में उच्चतर आयु सीमा ऐसी होगी जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये :

परन्तु यह और भी कि मोअल्लिम-ए-उर्दू उपाधि धारकों के मामले में, जिन्होंने दिनांक 11 अगस्त, 1997 से पहले ऐसी उपाधि प्राप्त कर ली हो, उच्चतर आयु सीमा अधिवर्षिता की आयु से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और भी कि प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में, अभ्यर्थियों के चयन के लिए उच्चतर आयु सीमा, ऐसी होगी, जैसी कि सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये :

परन्तु यह और भी कि शिक्षामित्र के मामले में अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष तक होगी।”

8. प्रश्नगत विज्ञापन 09.12.2014 को जारी किया गया था और अपीलार्थी 05.06.2012 को आवश्यक प्रशिक्षण पूरा कर सकी थी; अतः, वह 1981 के नियमों के नियम 6 के तीसरे परंतुक के तहत 2 वर्ष 6 माह 2 दिन की छूट के लाभ का दावा करती है।

9. यह विवादित नहीं है कि बी.टी.सी. पाठ्यक्रम पूर्ण करने की तिथि अर्थात 05 जून 2012 को अपीलार्थी की आयु 46 वर्ष 1 माह 4 दिन थी। इस प्रकार, स्पेशल बी.टी.सी. पाठ्यक्रम पूर्ण करने के समय ही वह 45 वर्ष की आयु पार कर चुकी थी। ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में 1981 के नियम 6 के साथ संलग्न तृतीय उपबंध में निहित आयु-छूट उसके किसी काम की नहीं है, क्योंकि न तो बी.टी.सी. पाठ्यक्रम पूर्ण करने की तिथि पर और न ही विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि पर, 45 वर्ष से अधिक आयु होने के कारण वह पात्र थी, चूंकि उसने वैधानिक नियमों द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पार कर ली थी।

10. अभिलेख पर उपलब्ध विज्ञापन/अधिसूचना दिनांक 09.12.2014 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत पद हेतु अधिकतम आयु सीमा का स्पष्ट उल्लेख अधिसूचना में नहीं किया गया था, किन्तु ऐसी स्थिति में भी अधिसूचना में उल्लिखित प्रासंगिक नियम अर्थात ‘1981 के नियम’ पात्रता एवं अधिकतम आयु सीमा निर्धारण के क्षेत्र को नियंत्रित एवं संचालित करेंगे।



11. प्रतिवादियों का मामला यह है कि बी.टी.सी. पाठ्यक्रम के अतिरिक्त, अपीलार्थी को प्रश्नगत पद हेतु आवेदन करने के लिए टी.ई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण करना भी आवश्यक था। अपीलार्थी द्वारा बी.टी.सी. पाठ्यक्रम दिनांक 05.06.2012 को पूर्ण किया गया, जबकि उसने टी.ई.टी. परीक्षा दिनांक 24.05.2014 को उत्तीर्ण की। अतः दोनों ही तिथियों पर, नियम 1981 तथा अधिसूचना दिनांक 09.12.2014 के संयुक्त पठन के अनुसार, अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पार कर चुकी थी। यहां तक कि नियुक्ति की तिथि अर्थात् 02.07.2016 को भी उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक थी, जो पुनः '1981 की नियमावली के नियम 6' तथा प्रतिशपथपत्र के अनुलग्नक सी.ए.-3 के रूप में संलग्न परिपत्र दिनांक 29.10.2015 के प्रतिकूल है।”

12. अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क यह है कि अपीलार्थी आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति) की अभ्यर्थी है तथा उसके लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट उपलब्ध है। अतः वह 45 वर्ष की आयु तक प्रश्नगत पद हेतु आवेदन कर सकती थी। यदि उ.प्र. बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली, 1981 के नियम 6 के तृतीय उपबंध के अंतर्गत अतिरिक्त 2 वर्ष 6 माह 21 दिन की छूट भी प्रदान कर दी जाए, तब भी अधिकतम अनुमन्य आयु सीमा 47 वर्ष 6 माह 21 दिन ही होती, जबकि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि पर अपीलार्थी की आयु 48 वर्ष 7 माह 8 दिन थी। अतः, अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर ही अधिकतम आयु सीमा से अधिक थी, जिससे वह प्रश्नगत पद हेतु आवेदन करने के लिए अपात्र हो जाती। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी प्राधिकारियों ने उसके आवेदन-पत्र को पूर्ण जानकारी एवं जागरूकता के साथ स्वीकार किया तथा उसे नियुक्ति भी प्रदान की।

13. आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि नौकरी प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का प्रयास किसी प्रकार की कपटपूर्ण कार्यवाही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह निर्विवाद है कि आवेदन-पत्र में सही जन्मतिथि अंकित की गई थी तथा अपीलार्थी की ओर से कोई तथ्य नहीं छिपाया गया था। सतर्क रहने का दायित्व प्राधिकारियों का था, जिसमें वे पूर्णतः विफल रहे। आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर न केवल पंजीकरण स्वीकार किया गया, बल्कि ई-चालान भी उत्पन्न



किया गया, जिससे अपीलार्थी को आवश्यक परीक्षा शुल्क जमा करने की अनुमति दी गई। इसके पश्चात, जबकि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तथा बी.टी.सी. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण करने की तिथि दोनों पर ही अपीलार्थी अधिकतम आयु सीमा पार कर चुकी थी, तब भी उसे नियुक्ति प्रदान की गई।

14. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से तर्क प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों को अत्यधिक विलंबित चरण में, अर्थात् 7 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद, नियुक्ति निरस्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि नियुक्ति दिनांक 02 जुलाई 2016 को की गई थी तथा सेवा समाप्ति का आदेश दिनांक 28.10.2023 को पारित किया गया।

15. अपीलार्थी की नियुक्ति को सुरक्षित बनाए रखने हेतु उसके अधिवक्ता ने विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **राधेश्याम यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2024) 11 एससीसी 770** में दिए गए निर्णय के प्रस्तर 26 एवं 27 पर भरोसा किया, जिसमें वहां के अपीलार्थी की 6 वर्ष की सेवा को इस आधार पर सुरक्षित रखा गया था कि उसकी नियुक्ति धोखाधड़ी एवं मिथ्या प्रतिरूपण का परिणाम नहीं थी। संदर्भ की सुविधा हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय **राधे श्याम यादव** (उपरोक्त) उक्त निर्णय के प्रस्तर 26 एवं 27 निम्नवत उद्धृत किए जाते हैं:-”

“26. **विकास प्रताप सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (उपरोक्त)** में, इस न्यायालय ने अपीलार्थियों के चयन को संरक्षित रखते हुए निम्नलिखित कहा था:-

“27. निर्विवाद रूप से, वर्तमान मामले में प्रतिवादी बोर्ड द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में की गई त्रुटि के लिए अपीलार्थियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि न तो यह पाया गया कि उन्होंने प्रथम मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने में कोई धोखाधड़ी अथवा मिथ्या प्रतिरूपण किया था और न ही त्रुटिपूर्ण मॉडल उत्तर कुंजी या भ्रामक परिणाम तैयार करने में उनका कोई योगदान था। यदि स्थिति इसके विपरीत होती, तो पुनर्मूल्यांकन के उपरांत उन्हें सेवा से पृथक करना उचित होता तथा उनकी सेवा अवधि की लंबाई की परवाह किए बिना उन्हें इस न्यायालय की किसी सहानुभूति का लाभ प्राप्त नहीं होता।”

27. विकास प्रताप सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (उपरोक्त) के निर्णय का अनुसरण अनमोल कुमार तिवारी बनाम झारखंड राज्य, (2021) 5 एससीसी 424 में किया गया। इस न्यायालय ने प्रस्तर 11 में निम्नलिखित प्रतिपादित किया:-

“11. हमारे विचारार्थ दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहला प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाकर्ताओं को पुनर्बहाल करने का निर्देश सही था। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पुनर्बहाली का निर्देश दिया कि रिट याचिकाकर्ता उस चयन सूची के लाभार्थी थे, जो अनियमित तरीके से तैयार की गई थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने यह पाया कि चयन सूची तैयार करने में प्राधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए रिट याचिकाकर्ता उत्तरदायी नहीं थे। इसके अतिरिक्त, रिट याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात हुई थी तथा उन्होंने कुछ समय तक कार्य भी किया था। उच्च न्यायालय का मत था कि अन्य पहले से चयनित अभ्यर्थियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना, रिट याचिकाकर्ताओं को पुनर्बहाली हेतु विचार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार की स्थिति **विकास प्रताप सिंह** मामले में उत्पन्न हुई थी, जहां इस न्यायालय ने यह विचार किया था कि वहां के अपीलार्थियों की नियुक्ति उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में प्रतिवादियों द्वारा की गई त्रुटि के कारण हुई थी। चूंकि वहां के अपीलार्थियों के विरुद्ध किसी धोखाधड़ी अथवा मिथ्या प्रतिरूपण का आरोप नहीं था, इसलिए उनकी सेवाओं की समाप्ति को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि इससे उनके कैरियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। यह तथ्य कि वहां के अपीलार्थी सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे तथा 3 वर्ष से अधिक समय से राज्य की सेवा कर रहे थे, भी इस न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों को निरस्त करने का एक कारण था। चूंकि वर्तमान रिट याचिकाकर्ता **विकास प्रताप सिंह** मामले के अपीलार्थियों के समान स्थिति में हैं, अतः हम उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि रिट याचिकाकर्ता प्रदान की गई राहत पाने के अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त, अवमानना की कार्यवाही के भय से ही



सही, रिट याचिकाकर्ताओं को पुनर्बहाल कर दिया गया है और वे वर्तमान में कार्यरत हैं।”

16. हम विकास प्रताप सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2013) 14 एससीसी 494 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में सीमित राहत प्रदान करने के लिए प्रेरित हैं। विकास प्रताप सिंह (उपरोक्त) के प्रस्तर -22 को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

“यह शाश्वत सिद्धांत कि 'फ्रॉस एट जस नूनकाम कोहैबिटैट' (धोखा और न्याय कभी साथ नहीं रहते), सदियों से अपनी प्रासंगिकता नहीं खो सका है; बल्कि यह सेवा कानून के न्यायशास्त्र की आत्मा और शरीर में आज भी पूरी तरह से विद्यमान है। यह स्थापित विधि है कि किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने कपट, छल, मिथ्या प्रतिरूपण या दुर्भावना के माध्यम से नियुक्ति प्राप्त की हो, उस पद पर नियुक्ति के संबंध में कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता। (देखें: ज़िला कलेक्टर बनाम एम. त्रिपुरा सुंदरी देवी, (1990) 3 एससीसी 655; पी. चंगलवराय नायडू बनाम जगन्नाथ, (1994) 1 एससीसी 1; तथा भारत संघ बनाम एम. भास्करन, 1995 एसयूपीपीएल. (4) एससीसी 100)। यह भी स्थापित विधि है कि किसी पद पर त्रुटिवश नियुक्त व्यक्ति को ऐसी गलत नियुक्ति का लाभ नहीं उठाने दिया जाना चाहिए, जिससे योग्य एवं मेधावी अभ्यर्थियों के हित प्रभावित हों। किन्तु, ऐसे मामलों में जहां किसी अभ्यर्थी की ओर से कोई त्रुटि न होने के बावजूद गलत अथवा अनियमित नियुक्ति की गई हो और बाद में उस त्रुटि या अनियमितता का पता चलने पर उसकी सेवा समाप्त कर दी जाए, इस न्यायालय ने विभिन्न कारकों, जैसे अभ्यर्थी की सद्भावना तथा नियुक्ति के बाद उसकी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। (देखें: विनोदन टी. बनाम कालीकट विश्वविद्यालय, (2002) 4 एससीसी 726; तथा यूपी राज्य वि.नीरज अवस्थी, (2006) 1 एससीसी 667)।”

17. अतः, उपर्युक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, अर्थात् अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता का लगभग 7 वर्षों तक निरंतर सेवा में बने रहना, साथ ही यह तथ्य कि प्रतिवादी प्राधिकारी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्त्री द्वारा नियुक्ति प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार की धोखाधड़ी या हेरफेर किए जाने की कोई आधारशिला स्थापित नहीं कर सके, तथा यदि याचिकाकर्त्री की सही आयु की गणना में कोई निर्णयगत त्रुटि हुई भी हो तो वह प्रतिवादियों की थी। यह पहलू संभवतः विद्वान एकल न्यायाधीश के ध्यान से छूट गया। इस सीमा तक, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में सिद्धांतगत त्रुटि उत्पन्न हुई प्रतीत होती है। अतः वर्तमान विशेष अपील तथा रिट याचिका **आंशिक रूप से स्वीकृत** किए जाने योग्य हैं। रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 जिसे वर्तमान अपील में चुनौती दी गयी है, तथा प्रतिवादी संख्या-3, बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.10.2023 निरस्त किए जाते हैं।

18. इस मामले के तथ्यों में न्यायसंगत संतुलन बनाए रखने हेतु, हम निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी को प्रश्नगत पद पर कार्यरत रहने की अनुमति दी जाए, किन्तु जिस अवधि में उसने कार्य नहीं किया है अथवा सेवा से बाहर रही है, उस अवधि के लिए वह वेतन प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होगी।

19. इस आदेश की एक प्रति रिट याचिका के अभिलेख के साथ भी संलग्न की जाए।

20. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(इन्द्रजीत शुक्ला, न्यायमूर्ति)

(सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति)

दिनांक: 27 जनवरी, 2026

एस.पी.